

नया बाजार, दिल्ली में विस्फोट

*235. श्री कृष्ण कुमार बिरला :
मौलाना अबुदुस्ला खान
आज़मी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 अप्रैल, 1992 को नया बाजार, दिल्ली में अनेक विस्फोट हुए ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके कारण जान-माल की कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच करवाई गई है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) गत 6 महीनों के दौरान दिल्ली में हुए इस प्रकार के भागलों का औसत क्या है ; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या बरम उठाये हैं ?

गृह मंत्री (श्री एम. वी. जगदीश) :
(क) दिनांक 29-4-1992 को नया बाजार में एक विस्फोट हुआ था ।

(ख) 43 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 23 व्यक्ति घायल हुए । तीन मकान बह गए और आस-पास की कुछ इमारतों को नुकसान पहुँचा । दिल्ली अग्नि जमन सेवा ने अनुमान लगाया है कि करीब 25.5 लाख रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई है ।

(ग) उप-राज्यपाल ने इस मामले की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिए हैं ।

(घ) दिल्ली पुलिस ने सूचना दी है कि पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली में ठीक ऐसी ही कोई घटना नहीं हुई है । फिर भी, दिनांक 1-11-1991 से 30-4-1992 तक की अवधि में दिल्ली में बम विस्फोट की नौ घटनाएँ हुई हैं ।

(ङ) पुराने शहर में भीड़-भाड़ कम करने और थोक-व्यापार को दिल्ली के

विभिन्न क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से जी०टी० कर्नाल रोड पर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का विकास किया गया है, जहाँ कई ट्रांसपोर्ट कम्पनियाँ, खास-तौर गोदान, स्थानान्तरित हो सकते हैं । कई ट्रांसपोर्ट कम्पनियाँ वहाँ चली गई हैं और अन्य कई वहाँ जाने की प्रक्रिया में हैं । कुछ समय पहले दिल्ली प्रशासन ने निर्णय लिया था कि दिनांक 1 जून, 1992 से पुराने शहर के कुछ निश्चित क्षेत्रों में भारी सामान और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा । विस्फोट होने के कारण का अभी स्पष्टतः पता लगाया जाना है ।

Working of Visakhapatnam Port

*236. SHRI M. M. HASHIM: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state;

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to improve the working of Visakhapatnam Port;

(b) whether there has been a steady-deterioration in the management of this Port during the last three years;

(c) what is the existing mechanism in the Port to have frequent interaction -with users and prospective users;

(d) whether it is a fact that the Port management is not responsive to the small entrepreneurs; and

(e) if so, what steps Government propose to take to have more open system of management in this Port?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Daily operation meetings are held by Traffic Manager with traders. Fortnightly and monthly meetings are held by Chairman/Deputy Chairman with traders and prospective users to

discuss operational problems and to take remedial measures.

(d) Does not arise in view of (c) above.

(e) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं में सुधार

*237. मौलाना अबुल क़ासिम खान
आज भी : क्या रेल मंत्री यह बताने की
कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 तथा 1992 के वर्षों के
दौरान उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार
तथा सुधार के लिए सरकार को प्राप्त
हुए आवेदनों का ब्योरा क्या है ;

(ख) उनमें किये गये अनुरोधों का
ब्योरा क्या है ;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की
गयी है ;

(घ) क्या इसी अवधि के दौरान,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं के
विस्तार तथा सुधार के संबंध में भी कुछ
आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उनका ब्योरा
क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की
गई है ?

रेल मंत्री श्री (सी. के. जाकर शरीफ) :
(क) से (ङ) रेल सेवाओं में सुधार के
संबंध में उत्तर प्रदेश सहित देश भर से
बहुत से आवेदन विभिन्न स्तरों पर,
यथा रेल मंत्रालय, क्षेत्रीय रेल मुख्यालय,
मंडल कार्यलय, स्टेशन स्तर पर एवं
रेल अधिकारियों के फील्ड दौरों के दौरान
आप्त होते हैं, प्राप्त होने वाले आवेदनों
की संख्या इतनी अधिक है कि सभी
जांचों का संकलन करना व्यावहारिक
नहीं है। बहरहाल, जैसे ही आवेदन
प्राप्त होते हैं उन सब विधित्त जगह की
जाती है और जहां व्यावहारिक समझा
जाता है, उपयुक्त कार्रवाई की जाती
है।

Reimbursement of expenditure incurred on Family Planning Programmes

*238. SHRI V. NARAYANASAMY:
SHRI SURESH PACHOURI;

Will the Minister of HEALTH AND
FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the implementation of
the family planning programmes by
different States and the Union Terri-
tories has been seriously hampered
for want of funds;

(b) whether it is a fact that the
disbursement of funds to the State
Governments by way of reimbursement of the
expenditure incurred by the State
Governments is in huge arrears; t i

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) what steps have been taken by
Government to clear the arrears and to
provide adequate funds to the State
Governments for implementing the family
planning programmes?

THE MINISTER OF HEALTH AND
FAMILY WELFARE (SHRI M. L.
FOTEDAR): (a) to (d) The Family Welfare
Programme has been a 100 per cent Centrally
sponsored scheme since its inception. While
the entire funding is provided by the Central
Government, the State Governments and the
Union Territories Administration have the
responsibility of implementing the Programme
under the broad national policy framework
and norms laid down for the purpose. While
provision for the funds required for the
Programme is made by the State Governments
in their budget, matching grants-in-aid, based
on approved norms and yardsticks, are to be
released by the Central Government on an
annual basis. However, due to the financial
constraints, the Central budget does not
always have adequate provisions for meeting
the full requirements of State Governments for
providing the matching grants-in-aid. In the
event of the